

न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

116 No. 33/17-18

आदेश पत्रक-ता०.....

से.....

जिला-खगड़िया.....

सा०.....

सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
25.05.2017	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1832/सी०आर० दिनांक 20.05.2017 द्वारा पसरहा थाना काण्ड संख्या-21/2017 दिनांक 19.02.2017 धारा-30(ए०) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब 1000 एम०एल० का 468 (जिसमें 10 पीस फुटा हुआ) बोतल एवं 180 एम०एल० का 152 बोतल रायल स्टेग कम्पनी का जिसमें 1000 एम०एल० का 01(एक) बोतल एवं 180 एम०एल० का 04(चार) बोतल नमूने हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार, पटना को जाँच हेतु भेजा गया है। शेष कुल 1605(सौलह सौ पाँच) बोतल थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष पसरहा का जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन संलग्न है।</p> <p>विदेशी शराब 1000एम०एल० का 457 बोतल एवं 180 एम०एल० का 1148 बोतल कुल-1605 (सौलह सौ पाँच) कुल-663.64 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि पसरहा थाना काण्ड संख्या-21/2017 में जप्त देशी/विदेशी शराब शेष कुल-663.64 लीटर को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक,खगड़िया/थानाध्यक्ष, पसरहा /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजा जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित</p> <p>3.</p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1832/सी०आर० दिनांक 20.05.2017 द्वारा पसरहा थाना काण्ड संख्या-21/2017 दिनांक 19.02.2017 धारा-30(ए०) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब 1000 एम०एल० का 468 (जिसमें 10 पीस फुटा हुआ) बोतल एवं 180 एम०एल० का 152 बोतल रायल स्टेग कम्पनी का जिसमें 1000 एम०एल० का 01(एक) बोतल एवं 180 एम०एल० का 04(चार) बोतल नमूने हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार, पटना को जाँच हेतु भेजा गया है। शेष कुल 1605(सौलह सौ पाँच) बोतल थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष पसरहा का जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन संलग्न है।</p> <p>विदेशी शराब 1000एम०एल० का 457 बोतल एवं 180 एम०एल० का 1148 बोतल कुल-1605 (सौलह सौ पाँच) कुल-663.64 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि पसरहा थाना काण्ड संख्या-21/2017 में जप्त देशी/विदेशी शराब शेष कुल-663.64 लीटर को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक,खगड़िया/थानाध्यक्ष, पसरहा /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजा जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

Handwritten notes in the right margin:

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1832/सी०आर० दिनांक 20.05.2017 द्वारा पसरहा थाना काण्ड संख्या-21/2017 दिनांक 19.02.2017 धारा-30(ए०) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब 1000 एम०एल० का 468 (जिसमें 10 पीस फुटा हुआ) बोतल एवं 180 एम०एल० का 152 बोतल रायल स्टेग कम्पनी का जिसमें 1000 एम०एल० का 01(एक) बोतल एवं 180 एम०एल० का 04(चार) बोतल नमूने हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार, पटना को जाँच हेतु भेजा गया है। शेष कुल 1605(सौलह सौ पाँच) बोतल थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष पसरहा का जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन संलग्न है।

विदेशी शराब 1000एम०एल० का 457 बोतल एवं 180 एम०एल० का 1148 बोतल कुल-1605 (सौलह सौ पाँच) कुल-663.64 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि पसरहा थाना काण्ड संख्या-21/2017 में जप्त देशी/विदेशी शराब शेष कुल-663.64 लीटर को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक,खगड़िया/थानाध्यक्ष, पसरहा /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजा जाय।

लेखापित एवं संशोधित